

राजस्थान सरकार

342

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E-mail: DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 1227725)

क्रमांक - एक 61(21)SSAAT/नियमावली/2019 / 7505

दिनांक 21/11/2020

(आदेश 10/2020)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की शासी निदेशक की प्रमुखता से दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या-1.5 एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय संख्या-1.4 की धारणा में सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एक 61 (21) SSAAT/नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा जारी किये गये हैं।

वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के प्रकाश में सोसायटी की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.07.2020 में इन नियमों के प्रावधानों पर पुनः विचार विमर्श किया गया और निर्णय संख्या 2.1 के द्वारा इन नियमों में उपयुक्त संशोधन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत पूर्ण में जारी किये गये संशोधित आदेश क्रमांक एक 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 में विनियमानुसार संशोधन किये जाते हैं:-

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 में नियम 5(AV)-लिखित परीक्षा आयोजन तथा नियम 5(V) शैक्षणिक व प्रौद्योगिक योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांकों के प्रतिफल का औसत के आधार पर चयन संबंधी प्रावधानों में निम्न संशोधन किया जाता है -

"सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान का कोविड-19 की परिस्थितियों को मध्यनजर रखा जाता है। अब चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्थान पर इन नियमों में प्रावहित केल्वल न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) के प्राप्तांकों के प्रतिफल के आधार पर ही (प्रौद्योगिक योग्यता के प्राप्तांकों को शामिल किये बिना) बरोबरता सूची बनाकर चयन प्रक्रिया संपादित की जायेगी।"

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (BAs) की प्रौद्योगिक योग्यता के अन्तर्गत उपरोक्त नियमों के प्रावधानों में नियम 5 (d) (ii) - "प्रौद्योगिक/तकनीकी योग्यता-सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता अनिवार्य है" विनियमानुसार प्रसूचित जोड़ा जाता है:-

"Rajasthan Knowledge Corporation Ltd.(RKCL) द्वारा कराये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (RSCIP) या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य कम्प्यूटर डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।"

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु विनियमानुसार (RTIP Act, 2013 & RTIP Rules, 2013 के प्रावधानानुसार) घयनित संस्था/संवेदक के माध्यम से केल्वल ऑनलाईन (Online) से ही पूर्ण पारदर्शिता के साथ आवेदन-पत्र लिए जावेंगे। अनुमोदित संस्था/संवेदक द्वारा आवेदकों व प्राप्त संबंधी सभी शैक्षणिक, प्रौद्योगिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। पारदर्शिता पूर्वक सभी आवेदकों की सामान्य वरीयता सूची और आरक्षण हेतु आवेदित योग्यता परीक्षा

सूचना आवश्यकतानुसार पूर्ण वस्तुनिष्ठता से (Objectively) तैयार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध करायी जायेगी।

5/4/20

सूचना संशोधन दुरुस्त प्रभाव से लागू होंगे।

उपरोक्त सामाजिक विकास शिक्षण एवं ग्रामीण संसाधन स्थितियों के अन्तर्गत राष्ट्रीय विनियम, 2020 शिक्षण श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, राष्ट्रीय निरीक्षण (SSAAT) की आई.डी.संख्या 2019/सोएस/2020 दिनांक 26.8.2020 द्वारा अनुमोदित है।

(समावृत्त शर्मा)
निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

दिनांक 27-11-2020

संख्या 6(21)SSAAT/नियमावली/2019/1806 22

निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
 - 2. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष यही राष्ट्रीय निरीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
 - 3. सचिव और मुख्य सचिव एवं सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
 - 4. सचिव, राष्ट्रीय विकास विभाग प्रा.वि. मंत्रालय, भारत-सरकार, नई दिल्ली।
 - 5. सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान।
 - 6. सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
 - 7. सचिव, जन एवं रोजगार विभाग।
 - 8. सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
 - 9. सचिव, महात्मा गांधी नरगा।
 - 10. सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
 - 11. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
 - 12. सचिव, वित्त (बजट-5) विभाग।
 - 13. सचिव, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग।
 - 14. सचिव, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
 - 15. सचिव, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।
- उपरोक्त सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध अधिकारी को सूचित है कि आपके विभाग की वेबसाइट पर इन प्रेषित विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने का अनुरोध है।

27/11/2020

(समावृत्त शर्मा)
निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)